

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 25, शुक्रवार, शाके 1933-दिसम्बर 16, 2011 Agrahayana 25, Friday, Saka 1933-December 16, 2011	

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 16, 2011

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 जिसका प्रकाशन राजस्थान के राजपत्र विशेषांक भाग-1(ख) में दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 को हुआ है, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता करने वाले सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी अधिसूचित किये गये थे, में नई सेवाएं जोड़े जाने व उनके संबंध में समयावधि नियत करने, पदाभिहित अधिकारी व उनकी सहायता हेतु सहायक पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी व द्वितीय अपील अधिकारी नियुक्त करने के लिये निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

(i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के सामने कॉलम संख्या 3 के क्रम संख्या 2 के बिन्दु संख्या (2) “तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय” के पश्चात् निम्न अथवा बिन्दु संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी अर्थात् :-

“

		3 पत्थरगढी सीमाज्ञान	30	तहसीलदार/नायब तहसीलदार	पटवारी/आईएलआर	एस.डी.ओ./ सहायक आयुक्त उपनिवेशन	अति. जिला कलक्टर (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत) अति. आयुक्त उपनिवेशन	-
--	--	----------------------	----	------------------------	---------------	---------------------------------	---	---

(ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 के और उसकी प्रविष्टियां पश्चात् तथा क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्न नई क्रम संख्या- 3क और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जावेगी अर्थात् :-

3क	जल संसाधन विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर	1	राजकीय खाले/ नहरों पर अतिक्रमण	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता
----	---------------------------------------	---	--------------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--------------------------------------

[illegible]

						सहायक अभियंता		अभियंता
		12	स्वीकृति कमाण्ड क्षेत्र में पानी का बारी बांधना व पर्ची जारी करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 3 दिन के अन्दर	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता
		13	राजकीय निर्देशानुसार सिंचाई की स्थायी पर्चिया जारी करना	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 24 घंटे में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता
		14	नया फील्ड चैनल की स्वीकृति	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता
		15	वाटर कोर्स के एलाईमेन्ट में परिवर्तन	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के एक माह में	अधिशायी अभियंता	अधिशायी अभियंता कार्यालय/मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक अभियंता	अधीक्षक अभियंता	अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता

राज्यपाल के आदेश से,

आर.पी.जैन
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

- नोट:- (1) अधिसूचना संख्या प.13 (1)प्र.सु.सम/अनु-1/2008 दिनांक 16.12.2011 द्वारा, राज. राज-पत्र विशेषांक भाग-1(ख) दिनांक 16.12.2011 के द्वारा कॉलम संख्या 1 के सामने कॉलम संख्या 3 के क्रम संख्या 2 के बिन्दू संख्या (2) “तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय” के पश्चात् बिन्दू संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी गई।
- (2) कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 3 के और उसकी प्रविष्टियां पश्चात् तथा क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व नई क्रम संख्या-3क और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की गई।